न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **65/06 (वाद)**

दर्ज दिनांक 21.04.2006 **निर्णय दिनांक 31.10.2017**

1. श्रीमती हरकूबाई पिता नवला बेवा रामा डांगी निवासी महाराज की खेडी, काटका कुआ तह.वल्लभनगर **(तर्क किया गया)**।
2. श्रीमती नकारीबाई पिता नवलाजी पत्नी रामा जी डांगी निवासी सविना उदयपुर तह. गिर्वा।
3. श्रीमती खुमीबाई पिता नवलाजी बेवा भुराजी निवासी गन्दोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. मु. हीराबाई बेवा केसा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
2. मु. कंकुबाई बेवा खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
3. श्री मीठालाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
4. श्री फतहलाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
5. श्री उदयलाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
6. श्रीमती नंबुडी उर्फ लबुडी पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
7. मु. गमेरी बेवा लालाजी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
8. श्री मांगीलाल पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
9. श्री हिरा पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
10. श्री भेरू पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
11. श्रीमती उदकी पिता लाला जी पत्नी मांगीलाल डांगी निवासी भेसडा कलां तह. गिर्वा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
13. श्रीमती हरकुबाई पिता नवला जी बेवा रामा जी डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त विवरण निम्न हैः– वादीगण व प्रतिवादीगण की खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैं –

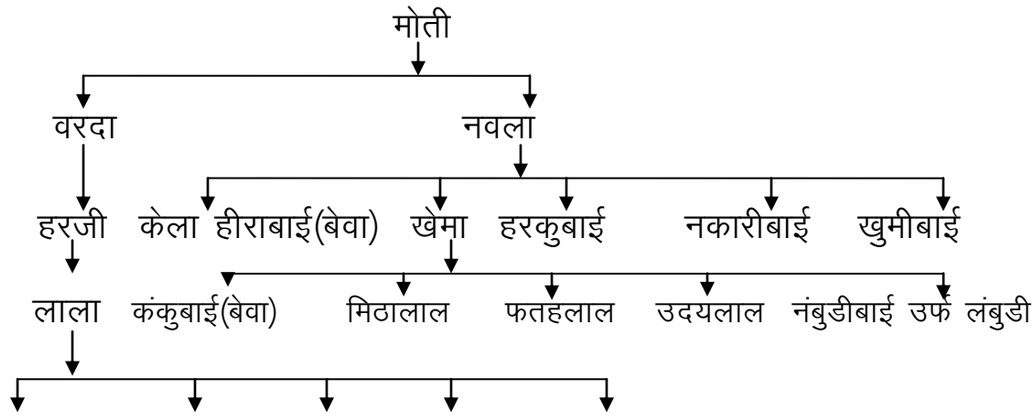

2. मौजा झंझेला तह. मावली में निम्न आराजीयात स्थित है आराजी नम्बर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 62, 344, 345, 346, 347, 393 कुल किता 16 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरूसी जायदाद है तथा इनके मौरूस वरदा व नवला के समय से चली आ रही हैं तथा इसमें वरदा का 1/2 हिस्सा व नवला का 1/2 हिस्सा हैं। वरदा की मृत्यु बाद वरदा के पुत्र हरजी के बाद तथा हरजी की मृत्यु बाद हरजी के पुत्र लाला के नाम दर्ज हुई हैं तथा लाला की भी मृत्यु हो गयी हैं जिसके वारीसान प्रतिवादीगण न. 7, 8, 9, 10, 11 हैं। नवला जी की मृत्यु करीब सन् 1960 में हुई हैं। नवला जी की मृत्यु के बाद नवला जी के पुत्र केसा व खेमा ने चुपके से अपने नाम दर्ज करा ली हैं तथा वादीगण को इसका पता नहीं लगने दिया हैं। जबकि नवला जी के वारीसान में केसा व खेमा के अलावा वादीगण भी है जो नवला की जायन्दा पुत्रीये हैं, तथा नवला की आराजीयात में खेमा, केसा तथा वादीगण हरकूबाई, नकारीबाई, खुमीबाई पांचों का बराबर हक व हिस्सा हैं। यानि उक्त आराजीयात में वादीयां नम्बर 1 का 1/10 वादीयां नम्बर 2 का 1/10, वादीयां नम्बर 3 का 1/10 हिस्सा, खेमा का 1/10 हिस्सा तथा केसा का 1/10 हिस्सा हैं व इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। केसा की मृत्यु हो गई हैं। केसा की मृत्यु बाद केसा के हिस्से पर उसकी बेवा हीराबाई प्रतिवादीयां नम्बर 1 काबिज चली आ रही है तथा खेमा की भी मृत्यु हो गई हैं जिसके वारीसान प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 हैं।

3. उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्यधारी हैं जिसमें प्रतिवादीगण नम्बर 7 से 11 का 1/2 हिस्सा व वादीयां नम्बर 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा प्रतिवादीयां नम्बर 1 का 1/10

हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 का 1/10 हिस्सा हैं व इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

4. खातेदार नवलाजी की मृत्यु के बाद खेमा व केसा ने अपने नाम गलत दर्ज करा ली हैं। जबकि खेमा केसा व वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए। खेमा व केसा की मृत्यु बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम गलत दर्ज कर दी गयी हैं जबकि प्रत्येक वादीगण का भी 1/10, 1/10 हिस्सा हैं।
5. प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 के नाम गलत इन्द्राज होने से प्रतिवादीगण 1 से 6 वादीगण के हक व हिस्से को चुनौती देने लगे है व धमकी दे रहे है कि जमीन हमारे खेत है अन्य वादीगण का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं हैं व आये दिन लडाई झगडा करते रहते है अतः वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व बंटवाडा करा अपने हिस्से को अलग कराना आवश्यक हो गया है व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हैं।
6. वादीगण ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 को वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने व बंटवाडा करा अलग करने हेतु कई बार कहा फिर भी प्रतिवादीगण आनाकानी कर समय गुजारते रहे हैं। तथा अब तारीख 15.03.06 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 ने धमकी दी कि जमीन हमारे खाते है वादीगण को जमीन पर नहीं आने देगें व ज्यादा किया तो जमीन बेच खुर्द बुर्द कर देगें।
7. वादकारण तारीख 15.03.06 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 6 ने वादीगण को धमकी दी कि जमीन हमारे खाते है। वादीगण को जमीन पर नहीं आने देगें व ज्यादा किया तो जमीन बेच खुर्द बुर्द कर देगें।
8. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात के 1/10 हिस्से की वादीयां नम्बर 1 को, 1/10 हिस्से की वादीयां नम्बर 2 को 1/10 हिस्से का वादीयां नम्बर 3 को 1/10 हिस्से को प्रतिवादीयां नम्बर 1 को 1/10 हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 के तथा 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 7 से 11 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावें। एवं वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद की कलम नम्बर 4 में अंकित हिस्से अनुसार बंटवाडा कराया जाकर जो जिसके हिस्से में आये वो उसके नाम दर्ज कराया जावे तथा

तदनुसार लगान का भी बरफाल कराया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वाद की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे न किसी को किसी भी तरह हस्तान्तरित करें तथा वादीगण को हिस्से अनुसार संयुक्त उपयोग उपभोग करने से नहीं रोकें न किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुॅचावें तथा ऐसा प्रतिवादीगण अपने नौकर एजेन्ट परिवारजन से भी नहीं करावें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11 नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में वादीया सं. 1 हरकुबाई ने उपस्थित होकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही को ड्रॉप किया गया। प्रकरण में पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीया सं.1 हरकुबाई को प्रतिवादी सं. 13 के रूप में पक्षकार बनाया गया। लेकिन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
10. वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल मेवाड बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रदर्श 2 एवं मिलान खसरा प्रदर्श 3 पेश किया।
11. वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य गवाह शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती खुमीबाई, पीडब्ल्यू 2 श्रीमती नकारी बाई, पीडब्ल्यू 3 श्री कालु, एवं पीडब्ल्यू 4 श्री लच्छीराम पेश किया।
12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर बंटवाडे की दाद को ड्रॉप कर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात वादीगणों के पिता नवला के नाम दर्ज थी। नवला की मृत्यु करीब सन् 1960 में हो गई थी व नवला जी की मृत्यु के बाद नवला जी के दो लडके खेमा व केसा के नाम विरासत से अकले के नाम भूमि दर्ज हो गई जबकि नवला जी के जायन्दा पांच वारीसान थें जिनमें से हरकु, नकारी, व खुमीबाई तीनों लडकिया थी जिनका विरासत के नामान्तरण में नाम नहीं लगवाकर केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 के पति केसा व प्रतिवादी सं. 2 के पति व प्रतिवादी सं. 3 से 6 के पिता खेमा का नाम ही दर्ज होना बताया है। वर्णित भूमि में नवला जी

का 1/2 हिस्सा दर्ज था जो खेमा व केसा के नाम विरासत से 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया था। खेमा की भी मृत्यु हो गई है व खेमा की मृत्यु के बाद खेमा की विरासत से प्रतिवादी सं. 1 हीराबाई के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया हैं। प्रस्तुत मिलान खसरा एवं दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होना साबित होती है। अतः पैतृक भूमि होने से वादीगण का हित निहित है। अतः वादीगण अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने की अधिकारीणी है। बंटवाडा की दाद नहीं चाहने से बंटवाडा की दाद को ड्रॉप की जाती है।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 62, 344, 345, 346, 347, 393 कुल किता 16 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि में मौरूस नवला के नाम दर्ज भूमि में वादी सं. 2 नकारीबाई को 1/10 हिस्सें, वादी सं. 3 खुमीबाई को 1/10 हिस्से व प्रतिवादी सं. 13 हरकुबाई को 1/10 एवं प्रतिवादी सं. 1 हीराबाई को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 से 6 को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगणों के उक्त हिस्से व कब्जे की आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगणों को उक्त आराजीयात का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें कोई रूकावट न तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती हरकूबाई पिता नवला बेवा रामा डांगी निवासी महाराज की खेडी, काटका कुआ तह.वल्लभनगर **(तर्क किया गया)**।
2. श्रीमती नकारीबाई पिता नवलाजी पत्नी रामा जी डांगी निवासी सविना उदयपुर तह. गिर्वा।
3. श्रीमती खुमीबाई पिता नवलाजी बेवा भुराजी निवासी गन्दोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. मु. हीराबाई बेवा केसा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
2. मु. कंकुबाई बेवा खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
3. श्री मीठालाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
4. श्री फतहलाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
5. श्री उदयलाल पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
6. श्रीमती नंबुडी उर्फ लबुडी पिता खेमा जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
7. मु. गमेरी बेवा लालाजी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
8. श्री मांगीलाल पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
9. श्री हिरा पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
10. श्री भेरू पिता लाला जी डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
11. श्रीमती उदकी पिता लाला जी पत्नी मांगीलाल डांगी निवासी भेसडा कलां तह. गिर्वा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
13. श्रीमती हरकुबाई पिता नवला जी बेवा रामा जी डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 65/06 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा झंझेला पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 62,

344, 345, 346, 347, 393 कुल किता 16 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि में मौरूस नवला के नाम दर्ज भूमि में वादी सं. 2 नकारीबाई को 1/10 हिस्सें, वादी सं. 3 खुमीबाई को 1/10 हिस्से व प्रतिवादी सं. 13 हरकुबाई को 1/10 एवं प्रतिवादी सं. 1 हीराबाई को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 से 6 को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगणों के उक्त हिस्से व कब्जे की आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगणों को उक्त आराजीयात का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें कोई रूकावट न तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली